फा. सं. 1/41/2003-बीओ-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
***

तीसरा तल, जीवन दीव भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
17 अगस्त, 2018

सेवा में,

1. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकारी क्षेत्र के सभी वित्तीय संस्थान
4. अध्यक्ष, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां

**विषय: 17 अगस्त 2018 को आधे दिन का अवकाश - श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन**

**महोदया/महोदय,**

यह पत्र उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.8.2018 के का.ज्ञा. सं. 12/2/2007-जेसीए2 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में है। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सीपीएसयू के संबंध में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होगा ताकि लोग भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे सकें और "स्मृति स्थल" में आयोजित की जा रही उनकी राजकीय अंत्येष्टि में शामिल हो सकें।

भवदीय,

राघव भट्ट

(राघव भट्ट)
उप निदेशक (बीओ-II)
Raghav.bhatt@nic.in

(संलग्नक: यथोक्त)

प्रतिलिपि: एनआईसी प्रकोष्ठ को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए